

23<sup>10</sup> / 24 पत्रावली पेश हुई। वकील कादी  
 आगु है। वादी वकील को बार-बार  
 आवाज लगाए गए किन्तु वे आगु नहीं  
 गये। वादी राय प्रार्थिकादी की सहायकी  
 वक 12/12 से न सहायता पेश रहे हैं।  
 जिराने वादी की उम्मीद काफ़ी कम है।  
 चर्चा की जाती प्रकृत नही मिली है।  
 जिराने सूरत में वादी से काफ़ी 09/10/24  
 में शर्तित किया जाया है। पत्रावली  
 जिराने हुआ होकर नकल से भेजा है।  
 वाद प्रारंभ शांतिपूर्ण रूप से है।

उपखण्ड अधिकारी  
 बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)